रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102022-239750 CG-DL-E-19102022-239750

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] No. 696] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2022

सं. 54/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 783(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, परियोजना आयात विनियमन, 1986 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है. यथा:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन विनियमों को परियोजना आयात (संशोधन) विनियमन, 2022 कहा जाए।
- (2) ये विनियम 20 अक्तूबर, 2022 से लागू होंगे।
- 2. परियोजना आयात विनियमन, 1986 में, सारणी में,-
 - (i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम 2 में, शब्दों और प्रतीकों "िनम्नलिखित के अंतर्गत आने वाले सभी विद्युत संयंत्र और पारेषण परियोजनाएं:-" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "िनम्नलिखित के अंतर्गत आने वाले सभी विद्युत संयंत्र और पारेषण परियोजनाएं, सौर ऊर्जा संयन्त्रों या सौर ऊर्जा परियोजनाओं से भिन्न:-" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

7060 GI/2022 (1)

- (ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम 2 में, शब्दों, प्रतीकों और अंक "उपरोक्त क्रम सं. 2 में उल्लिखित से भिन्न विद्युत संयंत्र और पारेषण परियोजनाएं" के स्थान पर, शब्दों, प्रतीकों और अंक "सौर ऊर्जा संयन्त्रों या सौर ऊर्जा परियोजनाओं से भिन्न और उपरोक्त क्रम सं. 2 में उल्लिखित से भिन्न विद्युत संयंत्र और पारेषण परियोजनाएं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 3चच के समक्ष, कॉलम 2 और 3 में, मद (11) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा. यथा:-

2.	3.
(12) भोपाल मेट्रो रेल परियोजना	प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल)
(13) इंदौर मेट्रो रेल परियोजना	प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल)

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/35/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 230/1986-सीमा शुल्क, दिनांक 3 अप्रैल, 1986 को सा.का.िन. 580(अ), दिनांक 3 अप्रैल, 1986 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.िन. 68(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

No. 54/2022-Customs

G.S.R. 783(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:-

1. Short title and commencement. -

- (1) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the 20th day of October, 2022.
- 2. In the Project Imports Regulations, 1986, in the Table, -
 - (i) against Sr. No. 2, in column 2, for the words "All Power Plants and Transmission Projects", the words "All Power Plants and Transmission Projects, other than solar power plants or solar power projects," shall be substituted;
 - (ii) against Sr. No. 3, in column 2, for the words, figures and symbols "Power Plants & Transmission Projects other than those mentioned at Sl. No. 2 above.", the words, figures and symbols "Power Plants and Transmission Projects, other than solar power plants or solar power projects and other than those mentioned at Sr. No. 2 above." shall be substituted;
 - (iii) against Sr. No. 3FF, in columns 2 and 3, after item (xi) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely: -

2.	3.
"(xii) Bhopal Metro Rail Project	Managing Director, Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL)
(xiii) Indore Metro Rail Project	Managing Director, Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL)".

[F. No. CBIC-190341/35/2022-TRU Section-CBEC] VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 230/1986-Customs, dated the 3rd April, 1986 published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 580(E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended *vide* notification No. 10/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published *vide* number G.S.R. 68(E), dated the 1st February, 2021.